मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755–2551486–87 फैक्स 2550094

क्र.1089/MGNREGS-MP/NR-1/13 भोपाल, दिनांक 05/02/2013

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला/जिला पंचायत –.................... (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा के लेबर बजट 2013–14 के संबंध में।

संदर्भः–
1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक – G-31011/4/2011-MGNREGA दि.– 08.01.2013
2. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्र.– 10262/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I दिनांक 01.11.2012
3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्र .–397/MGNREGS-MP/NR-I /13 दि. – 11.01.2013

कृपया संदर्भित पत्र क्र.– 3 का अवलोकन करें, मनरेगा अधिनियम की धारा 13 से 16 में दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिला कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामसभा से अनुमोदन कराते हुए त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अनुमोदन अनुसार जिले का लेबर बजट तैयार किया जाना था। प्रत्येक ग्रामसभा के द्वारा लेबर बजट के अनुमोदन की कार्रवाई एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट को भी एमआईएस में संबंधित ग्राम पंचायत के लेबर बजट के साथ लिंक करना अनिवार्य भी था। इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर लेबर बजट तैयार किए जाने बाबत् समीक्षा की गई।

उपरोक्त के संबंध में जिलों से अपेक्षा की गई थी कि वे इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें कि ''मनरेगा अधिनियम की धारा 13 से 16 के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए जिले का लेबर बजट बनाया गया है।'' आपके जिले से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि –

1. उक्त प्रमाण पत्र दि.– 05.02.13 तक परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र भारत शासन को प्रेषित किया जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

2. लेबर बजट की तैयारी हेतु आयोजित ग्रामसभा में अनुमोदन की कार्यवाही के विवरण को एमआईएस में प्रदर्शित जिले के लेबर बजट के साथ लिंक करना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला .... का वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु लेबर बजट महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 13–14 में वर्णित प्रावधानों के पालन में तैयार किया गया है।

हस्ताक्षर
मु.का.अ./अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक

हस्ताक्षर
कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक